रजिस्टर्ड/पंजीकृत डाक

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़,
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन
सी ब्लॉक, तृतीय मंजिल, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13/01/2017

क्रमांक 5969/स्था/टीसी/2017 :: एतत्द्वारा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को निहित प्रावधानों के तहत् निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कॉलम न. 5 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर डाटाएन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पुनरीक्षित वेतन वैंड रूपये 5200–20200+ग्रेड वेतन रूपये 2400/– में तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तो पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	उम्मीदवारों का नाम	वर्ग	नियुक्ति का प्रकार	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	कु. दीपिका रंगारी	सामान्य	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा
2	श्री कमलेश कुमार	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी

शर्ते :–

(1) अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या वाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

(2) उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त–1 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की वकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(3) उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(4) उपर्युक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(5) **उम्मीदवारों को उपस्थिति के साथ मेडिकलक बोर्ड से प्राप्त उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(6) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के जिन उम्मीदवारों ने अपने जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानवीन समिति, (संवंधित जिला) से सत्यापित कराकर प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे

उम्मीदवारों की यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित उम्मीदवारों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 06 माह की समयावधि में अपने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) छ.ग. शासन अधिसूचना कमांक–977/सी–761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27–10–2004 के अनुसार कर्मचारी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

(8) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर परिवीक्षावधि (2 वर्ष)पूर्ण करने तक वेतनमान का न्यूनतम वेतन व अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, प्राप्त होंगे।

(9) परिवीक्षावधि में कार्य व आचरण असंतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति नियमित की जायेगी व वेतनवृद्धि देय होगी।

(10) उपर्युक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।

(प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा अनुमोदित)

हस्ता/-
(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर
रायपुर, दिनांक 12/01/2017

पृ.क्र. 5970 /स्था/टीसी/17
प्रतिलिपिः–

1 माननीय परिवहन मंत्री जी के विशेष सहायक।
2 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
3 निज सहायक, प्रमुख सचिव, परिवहन, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग।
4 जिला कोषालय अधिकारी, कोरबा/धमतरी, छ.ग.।
5 जिला परिवहन अधिकारी, कोरबा/धमतरी, छ.ग.।
6 स्टेनो शाखा, परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर छ.ग.।
7 संबंधित ....पता..

....छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/1/17
(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

रजिस्टर्ड/पंजीकृत डाक

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़,
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन
सी ब्लॉक, तृतीय मंजिल, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13/01/2017

क्रमांक 5967/स्था/टीसी/2017 :: एतत्द्वारा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को निहित प्रावधानों के तहत् निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कॉलम न. 5 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर सहायक वर्ग–3 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 5200–20200+ग्रेड वेतन रूपये 1900/– में तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	उम्मीदवारों का नाम	वर्ग	नियुक्ति का प्रकार	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री पिताम्बर लाल साहू	अ.पि.व.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़
2	श्री सुशांत कुमार सासमल	सामान्य	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, बलौदाबाजार
3	श्री त्रिलोकीनाथ बघेल	अ.पि.व.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, कांकेर
4	श्री प्रवीण कुमार साहू	अ.पि.व.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, बेमेतरा
5	कु. शुभ्रा गुप्ता	सामान्य	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, महासमुंद
6	कु.मोनिका विश्वकर्मा	अ.पि.व.	सीधी भर्ती	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर
7	श्री महेश कुमार भारती	अ.जा.	सीधी भर्ती	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर
8	कु. मुग्धा साहू	अ.पि.व.	सीधी भर्ती	अति.क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग
9	श्री देवेन्द्र कुमार सुर्यवंशी	अ.जा.	सीधी भर्ती	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर
10	श्री रमाकांत ठाकुर	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, बालौद
11	श्री अतुल कुमार खलखो	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी
12	श्री रवि कुमार	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, बीजापुर
13	श्री अमोश कुमार एक्का	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, सुकमा
14	श्री लोकेश्वर मरकाम	अ.ज.जा	सीधी भर्ती	जिला परिवहन कार्यालय, सुकमा

शर्ते :–

(1) अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से विना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से

बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

(2) उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त–1 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(3) उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(4) उपर्युक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।

(5) **उम्मीदवारों को उपस्थिति के साथ मेडिकलक बोर्ड से प्राप्त उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(6) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के जिन उम्मीदवारों ने अपने जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, (संबंधित जिला) से सत्यापित कराकर प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे उम्मीदवारों की यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित उम्मीद्वारों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 06 माह की समयावधि में अपने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) छ.ग. शासन अधिसूचना कमांक–977/सी–761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27–10–2004 के अनुसार कर्मचारी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

(8) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर परिवीक्षावधि (2 वर्ष)पूर्ण करने तक वेतनमान का न्यूनतम वेतन व अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, प्राप्त होंगे।

(9) परिवीक्षावधि में कार्य व आचरण असंतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति नियमित की जायेगी व वेतनवृद्धि देय होगी।

(10) उपर्युक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।

(प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा अनुमोदित)

12/1/17

(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्र. 5968 /स्था/टीसी/17 रायपुर, दिनांक 13/01/2017

प्रतिलिपि:—

1 माननीय परिवहन मंत्री जी के विशेष सहायक।

2 महालेखकार, छत्तीसगढ़, रायपुर

3 निज सहायक, प्रमुख सचिव, परिवहन, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग।

4 जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़/बलौदाबाजार/कांकेर/बेमेतरा/महासमुंद/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/बालोद/धमतरी/बीजापुर/सुकमा, छ.ग.।

5 क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़/बलौदाबाजार/कांकेर/बेमेतरा/महासमुंद/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/बालोद/धमतरी/बीजापुर/सुकमा, छ.ग.।

6 स्टेनो शाखा, परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर छ.ग.।

7 संबंधित .... पता ....
....
.... छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/1/17

(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर